छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1497 /एफ–7–60/31/एस–2/2024, अटल नगर, दिनांक 28/03/2025

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–लैलुंगा अंतर्गत खम्हारपाकुट मध्यम जलाशय योजना का शीर्ष एवं मुख्य नहर जीर्णोद्धार, रिमाडलिंग, एवं लाईनिंग कार्य चैन 7 से 15 कि.मी. कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.–2198/बो.प्र./AA/TS/ह.क./2023/9618, दिनांक 17.10.2023

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–लैलुंगा अंतर्गत खम्हारपाकुट मध्यम जलाशय योजना का शीर्ष एवं मुख्य नहर जीर्णोद्धार, रिमाडलिंग, एवं लाईनिंग कार्य चैन 7 से 15 कि.मी. कार्य हेतु लागत **रू. 581.09 लाख (रूपये पांच करोड़ इक्यासी लाख नौ हजार)** मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 3441 हेक्टेयर में 1759 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 195 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 3636 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–23, लेखशीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई योजना पर पूंजी परिव्यय, [21]–खम्हारपाकुट, {800}-अन्य व्यय, 0101–राज्य आयोजना (सामान्य), (2898)–बांध तथा संलग्न कार्य, #26–वृहद निर्माण कार्य, 005–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक–2621/बजट–2/वित्त/चार/2025, दिनांक 28.03.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गोरे लाल भूआर्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1498 /एफ–7–60/31/एस–2/2024, अटल नगर, दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़, जिला–रायगढ (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
04 APR 2025
SE (MIS)
E-in-C
कक्ष........

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

G:\Dewangan sir folder\S Folder\Letter\Adesh Letter Folder\Adesh final AA 2023.docx